भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3378

उत्तर देने की तारीख 16 दिसंबर, 2024

सोमवार, 25 अग्रहायण 1946 (शक)

प्रशिक्षण और कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से रोजगार

3378. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन: श्री राकेश राठौर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में कार्यशील प्रशिक्षण केन्द्रों और कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है/कराया जा रहा है;

(ख) उत्तर प्रदेश में कार्यशील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आईटीआई और कौशल विकास केन्द्रों में कितने छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से युक्त करना है।

एमएसडीई की योजनाओं में, पहले तीन चरणों में पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण घटक के तहत नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिसे वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया। पीएमकेवीवाई के इन तीन संस्करणों में देश भर और उत्तर प्रदेश राज्य में नियोजित उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः 24,37,887 और 3,38,882 है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और वे इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख हैं। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, तृतीय पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्टों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में उनकी सफलता का उल्लेख किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

जेएसएस: 2020 में जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है, जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है या वे स्व-रोजगार हैं। 79% महिला प्रतिनिधित्व, 50.5% ग्रामीण हिस्सा, बेहतर आजीविका के लिए रोजगार में 73.4% बदलाव, प्रत्येक लाभार्थी की औसत आय में 89.1% बदलाव, जेएसएस द्वारा लाभार्थियों का 85.7% जुटाव, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय बदल लिया है। अध्ययन ने यह भी पुष्टि की कि योजना में कौशल का ध्यान स्व-रोजगार पर है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है।

आईटीआई : एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार (वेतन+स्व, जिनमें से 6.7% स्व-रोजगार में हैं) मिला।

एनएपीएस: वर्ष 2021 में आयोजित एनएपीएस के तृतीय पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की नियोजनीयता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। योजना के नए चरण में, शिक्षुओं के बैंक खातों में सीधे सरकार के हिस्से को स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सीतापुर जिले में एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:

योजना का नाम	सीतापुर जिले में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या		
	2021-22	2022-23	2023-24
पीएमकेवीवाई	563	156	736
एनएपीएस	82	137	177
सीटीएस (नामांकन)	1998	2099	2374

*वर्तमान में सीतापुर जिले में कोई सक्रिय जेएसएस नहीं है।

(घ) भावी कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने, कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने तथा शिक्षुओं की नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार-मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) स्थापित किए गए हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकता को संबोधित करते हुए भविष्य के लिए तैयार रोजगार भूमिकाएं, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के तहत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भावी रोज़गार भूमिकाओं की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

iii. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक नियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई है।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदाता संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग-मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें तथा उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक वातावरण में आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

vi. डीजीटी ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट एलायंस), अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

vii राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) से जुड़े पाठ्यक्रमों में ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगार कौशल के घटक भी शामिल हैं।

viii. एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

ix एनएपीएस के अंतर्गत, शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ाव बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता है।

x औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) योजना का कार्यान्वयन, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना जिसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और प्रशिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है।

xi. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीओटी) के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

xii. कौशल भारत डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल को कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में स्थापित किया गया है।

xiii. भारत सरकार ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में बारह देशों के साथ समझौता ज्ञापन/सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

xiv. भारत सरकार ने विदेशी देशों के लिए कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

*****